

ट्रक ऑपरेटर्स हाईवे एमेनिटी सोसाइटी (टोहास)

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर

E-Mail ID- transport.tohas@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.1(1) टोहास/97/पार्ट/-॥ /2020/21883 जयपुर, दिनांक: 24/11/2020

कार्यालय आदेश 24/2020

परिवहन विभाग के पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश संख्या 14/2019 एवं 18/2019 के अनुसार वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) एवं चालक लाईसेंस (DL) आवेदक को पते पर डाक द्वारा जा रहे थे। इस प्रक्रिया में RC/DL आवेदक के पास पहुंचने में विलम्ब की एवं गलत पते पर पहुंचने की काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी इसीलिए यह निर्देश दिये जाते हैं अब से आवेदक को वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) पंजीयन अधिकारी यथा जिला/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय से अथवा वाहन विक्रेता जो पंजीयन अधिकारी के रूप में अधिकृत है, के द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे। साथ ही चालक लाईसेंस (DL) आवेदक को लाईसेंसिंग प्राधिकारी यथा जिला/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेंगे। यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है।



(रवि जैन)

परिवहन आयुक्त एवं
शासन सचिव

क्रमांक: एफ.1(1) टोहास/97/पार्ट/-॥ /2020/21884-92 जयपुर, दिनांक: 24/11/2020

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग।
4. निजी सचिव, श्रीमान आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग।
5. सहायक पोस्ट मास्टर जनरल (BD & Mails) डाक विभाग, जयपुर।
6. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
7. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
8. सिस्टम एलालिस्ट को प्रेषित कर लेख है कि वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

24
सदस्य सचिव (टोहास)